न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः **86 / 2023**

दायर दिनाँक **27.06.2023**

प्रार्थीया		**अप्रार्थीगण**
1. मोहनलाल पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी तारपुरा तहसील मौलासर जिला नागौर राजस्थान।	**बनाम्**	1. गोविन्दराम पुत्र देवाराम जाति जाट निवासी तारपुरा तहसील मौलासर जिला नागौर राजस्थान। 2. तहसीलदार मौलासर

प्रार्थना–पत्र बाबत्
अस्थायी व्यादेश हेतु
अन्तर्गत धारा– 212 R.T.Act.

उपस्थितः—

1. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील प्रार्थी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक **20.04.2026**

प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि सरहद डाबडा के खेत खसरा संख्या 15, 17, 18, व 19 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य खातेदारों का संयुक्त खातेदारी का खेत अवस्थित है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर 15 प्रार्थी के बंट में आया मकान है। जिसमें प्रार्थी व उसका परिवार निवास करता है तथा इसके चिपते ही प्रार्थी के बंट व कब्जे काश्त में आया खेत है। जिसका कुछ भाग खसरा नम्बर 17 व कुछ भाग खसरा नम्बर 19 में आया हुआ है। खसरा नम्बर 17 के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 19 जिसमें से कुछ हिस्सा जो कि अप्रार्थी संख्या 1 के बंट व कब्जे काश्त में आया हुआ है तथा खसरा संख्या 19 मे नजरी नक्शे में अनुसार मार्क ए बी सी डी भाग 15 फुट का चौडाई का प्रार्थी के रहवासी मकान व बंट में आये खेत तथा अन्य खातेदारो के बंट में आये खेत में आवागमन हेतु पिछले 50 वर्षों से रास्ता रखा गया है एवं प्रार्थी के आवागमन हेतु यह एक मात्र ही रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु नहीं है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 की नियत में खोट आ चुका है तथा बार बार मार्क ए बी सी डी भाग के रास्ता पर कभी छरडिया व कभी पत्थर डालकर रास्ता अवरूद्ध करने का प्रयास कर रहा है तथा कभी कच्ची छरडियां की झाटी बना रास्ता रोकने का प्रयास करता है। जिससे प्रार्थी व उसके परिवारजनों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को इसके बारे में मना किया तो अप्रार्थी व उसके परिवारजन आग बबूला हो गये तथा प्रार्थी के साथ मारपीट करने का प्रयास किया और यह धमकी दी गई कि मुख्य रास्ते पर हमारा खेत है हम तुझे खेत व ढाणीमें आने जाने नहीं देंगे तथा यह रास्ता बन्द करेंगे। जिस पर प्रार्थी के जायज अधिकार खतरे में पड गये है तथा प्रार्थी को प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है। वर्तमान में नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए बी सी डी 15 फुट चौडाई का रास्ता प्रार्थी के खेत व मकान पर आवागमन हेतु

vkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

चल रहा है। अप्रार्थी ने उक्त रास्ते को बंद करने की धमकी दी है जिस बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ता–फैसला मूल वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि खेत खसरा संख्या 16 में तथा खसरा संख्या 17 व 18 में तथा प्रार्थी के बंट में आये खेत खसरा नम्बर 19 के कुछ भाग में आवागमन हेतु नजरी नक्शे में दर्शाये अनुसार 15 फुट चौडाई का रास्ता मार्क ए बी सी डी भाग जो खसरा नम्बर 19 में अवस्थित है को अप्रार्थी संख्या 1 अवरोध, बाधित इत्यादि न तो स्वयं करे, न ही किसी प्रकार का गेट अथवा झाटी लगावे, न ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से ऐसा कोई कार्य करावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 बावजूद इत्तला अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार मौलासर से जरिये पत्रांक 1003 दिनांक 03.07.2023 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार मौलासर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 15, 17, 18, 19 प्रार्थी मोहनलाल पुत्र भूराराम व अप्रार्थी गोविन्दराम पुत्र देवाराम के अन्य सहखातेदारों के साथ खातेदारी में दर्ज है। मौके पर प्रार्थी, अप्रार्थीगण तथा अन्य सहखातेदारों ने मौके पर आपसी सहमति से अनुसार सुविधा मौके पर विभाजन कर कब्जा काश्त कर रहे है। सभी ने अपने भू–भाग में आने जाने हेतु आपसी सहमति से रास्ता मौके पर छोडा हुआ है तथा आवागमन के काम आ रहा है। मौके रास्ते की चौडाई को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है इसी को लेकर वाद न्यायालय में विचाराधीन है मौके पर दोनों पक्षकरा उपस्थित मिले उक्त रास्ते की चौडाई 15 फिट होना दोनों पक्षों ने स्वीकार किया रास्ता मार्क ए जहां से शुरू होता है तथा मार्क डी जहां रास्ता खत्म होता है। दोनों छोर पर रास्ता 15 फुट चौडा है। परन्तु बीच में रास्ते की चौडाई 15 फुट से कम हैं। उक्त रास्ते में मार्क ए से बी पर दक्षिणी सीमा पर मौके पर मेड है मार्क बी से सी व डी तारबंदी के सहारे रास्ता चालू है। मौके पर आवागमन के निशान है। तथा रास्ता को छोडकर फसल बोयी हुई है। इस प्रकार रास्ते की चौडाई फसल की सीमा से नाम कर तय की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थी के आवागमन हेतु उपरोक्त वर्णितानुसार एक मात्र ही रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता आवागमन हेतु नहीं है। वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 की नियत में खोट आ चुका है तथा बार बार मार्क ए बी सी डी भाग के रास्ता पर कभी छरडिया व कभी पत्थर डालकर रास्ता अवरूद्ध करने का प्रयास कर रहा है तथा कभी कच्ची छरडियां की झाटी बना रास्ता रोकने का प्रयास करता है। जिससे प्रार्थी व उसके परिवारजनों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड रहा है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

बहस पर मनन किया रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन व बहस पर मनन करने के उपरान्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओं पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है।

Weas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

1. **प्रथम दृष्टया मामला** :– सरहद डाबडा के खेत खसरा संख्या 15, 17, 18, व 19 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 व अन्य खातेदारों का संयुक्त खातेदारी की भूमि में है। जिसमें प्रार्थी अवागमन हेतु आपसी सहमति से छोडे गये रास्ते पर स्थगन प्राप्त करना चाहा है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता वर्तमान में मौके पर चालू है एवं रास्ते की चौडाई को लेकर पक्षकरान के मध्य विवाद है। जिसके आधार पर प्रार्थी को स्थगन दिया जाना न्यायालय उचित नहीं समझता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।
2. **सुविधा का संतुलन** :– प्रार्थी के आवागमन हेतु आपसी सहमति से छोडे गये रास्ते की चौडाई को लेकर पक्षकारान में मध्य विवाद है जो वाद के निर्णय के दौरान तय होना है एवं वर्तमान में रास्ता मौके पर चालू है जिस कारण प्रार्थी को किसी प्रकार असुविधा होना प्रतीत नहीं होता है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीया के विपक्ष में निर्णित किया जाता है।
3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रश्नगत भूमि में वर्णित रास्ते को मूल वाद के निर्णय तक खुर्दबुर्द किया जाता है तो प्रार्थी को किस प्रकार क्षति कारित होगी यह समझाने में प्रार्थी विफल रहा है। अतः अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीया के विपक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के विपक्ष में निर्णित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र परिपोषणीय नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

सरहद डाबडा के खेत खसरा संख्या 15, 17, 18, व 19 के संबंध में प्रार्थी द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र परिपोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक **20.04.2026** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना